

न्यायालय अतिरिक्त जिला दण्डनायक,सवाईमाधोपुर  
पीठासीन अधिकारी-डॉ. सूरज सिंह नेगी

प्रकरण संख्या 01/19

तारीख रजू 23/09/2019

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक,सवाईमाधोपुर।

—सायल(प्रार्थी)

बनाम

श्री मुकेश पुत्र करण सिंह जाति मीना निवासी रेल्वे कॉलोनी थाना कोतवाली सवाई माधोपुर।  
—गेर सायल(अप्रार्थी)

अभियोग-पत्र अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975

निर्णय

दिनांक- 28/07/2023

पुलिस अधीक्षक,सवाईमाधोपुर द्वारा यह अभियोग पत्र राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत गैर सायल (अप्रार्थी) श्री मुकेश पुत्र करण सिंह जाति मीना निवासी रेल्वे कॉलोनी थाना कोतवाली जिला सवाई माधोपुर के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। अभियोग पत्र के अनुसार गैरसायल (अप्रार्थी) के विरुद्ध पुलिस थाना कोतवाली सवाई माधोपुर मे निम्न अभियोग पंजीवद्ध होना बताया है।

क्र.स	मुकदमा नम्बर	दिनांक	धारा	चार्जशीट नम्बर	दिनांक	फैसला
1.	71/17	22.02.17	13 आरपीजोओ	28	24.02.17	100 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित
2.	119/17	31.04.17	13 आरपीजोओ	53	05.04.17	100 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित
3.	378/15	10.12.15	13 आरपीजोओ	154	11.12.15	100 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित
4.	89/18	22.09.18	13 आरपीजोओ	45	24.09.18	500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित

उक्त पंजीवद्ध आपराधिक प्रकरणो मे बाद जॉच चार्जशीट किता कर संबंधित न्यायालय मे चालान पेश किया गया। सक्षम न्यायालय द्वारा गैरसायल को उक्त चारो प्रकरणों में दोषी मानते हुए 100 रु0, 100 रु0, 100 रु0 एवं 500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया। गैरसायल सवाई माधोपुर क्षेत्र में आदतन जुआ/सटटा खेलने व खिलाने का आदि है तथा रूपयो पैसो का दाव लगाकर सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलता हुआ कई बार पकडा गया है। उक्त अपराध एक ऐसा अपराध है जिसके कारण समाज के नवयुवक वर्ग को खोखला कर दिया है उक्त गैरसायल को बार-बार जुआ खेलते हुए गिरफ्तार करने एवं उसके विरुद्ध चालान पेश न्यायालय में करने एवं माननीय न्यायालय द्वारा उसे दोषी करार कर अर्थ दण्ड से दण्डित करने के बावजूद भी वह अपनी हरकतो व आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगा रहा है, जो लोक व्यवस्था एवं लोक क्षेत्र के लिए घातक है। अतः गैर सायल के खिलाफ राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

अभियोग पत्र के साथ तालिका मे अंकित प्रथम सूचना रिपोर्ट,चार्जशीट प्रति,न्यायालय निर्णय प्रतियां प्रस्तुत की है।



अभियोग पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 के नियम-4 में उल्लेखानुसार राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 की धारा 3 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया। गैरसायल जरिये अभिभाषक व असालतन उपस्थित होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।


अभियोजन अधिकारी ने बहस में तर्क दिया कि गैरसायल को मुकदमा नं0 71/17 व 119/17 धारा 13 आरपी0जी0ओ0 के अन्तर्गत माननीय न्यायालय ने छ माह की समयावधि में दो बार दोष सिद्ध कर अर्थदण्ड से दण्डित किया है तथा गैर सायल ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिये नवयुवा पीढ़ी को जुआ खेलने की आपराधिक लत लगा दी है तथा उक्त गैरसायल की गतिविधियां अवैध व समाज विरोधी हो गई है। जो लोक व्यवस्था एवं लोक क्षेत्र के लिए घातक है। अतः गैरसायल को आदतन अपराधी मानते हुए राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 की धारा 3 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही करते हुए जिले से निष्काषित किया जावे।

विद्वान वकील गैर सायल ने बहस में तर्क दिया कि पुलिस ने गलत तथ्यों के आधार पर गैर सायल के विरुद्ध इस्तगासा पेश किया है जो झूठे किये जाने योग्य है। मुकदमा संख्या 71/17 व 119/17 आरपीजीओ एक्ट से सम्बन्धित है जो गुण्डा एक्ट की तारीफ में नहीं आता है, क्योंकि उक्त अपराध सिर्फ अर्थदण्ड से निस्तारित होते हैं। पुलिस ने गैरसायल के विरुद्ध राजनैतिक द्वेषता व रंजिश वश मुकदमे दर्ज कराये गये थे। सायल ने उक्त इस्तगासा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। जबकि राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 में स्पष्ट प्रावधान है कि सायल द्वारा इस्तगासा पेश करने से पूर्व छः माह की अवधि में गैरसायल द्वारा तीन बार अपराध कारित करते हुए पाया जाना आवश्यक है। जबकि गैरसायल को छः माह की अवधि में दो मुकदमों में ही दोष सिद्ध किया गया है। अतः उक्त इस्तगासा प्रारम्भ से ही शून्य है, साथ ही वकील गैरसायल ने गैरसायल के खिलाफ प्रस्तुत किये गये अभियोग पत्र में कार्यवाही झूठे करने हेतु निवेदन किया है।

अभियोजन अधिकारी व विद्वान वकील गैर सायल की बहस सुनने व मनन करने तथा अभियोग पत्र पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात व साक्ष्य का भली भांती अवलोकन करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हू कि राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 में स्पष्ट प्रावधान है कि सायल द्वारा इस्तगासा पेश करने से पूर्व छः माह की अवधि में गैरसायल द्वारा तीन बार अपराध कारित करते हुए पाया जाना आवश्यक है। लेकिन सायल द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा में गैरसायल को दो मुकदमों में ही दोषसिद्ध किया गया है। इस प्रकार छः माह की अवधि में गैरसायल द्वारा तीन बार अपराध सिद्ध न होने के कारण गैरसायल गुण्डा की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर सायल द्वारा गैरसायल के खिलाफ प्रस्तुत किया गया अभियोग-पत्र अस्वीकार किया जाकर गैरसायल के खिलाफ राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 75 की कार्यवाही झूठे की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.07.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(डॉ. सुरज सिंह नेगी)  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,  
सवाईमाधोपुर